26-11-21 पत्रावली प्रशासन गांवो के संग लैम्प ग्राम पंचायत नरायना पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी वकील द्वारा पक्षकारो में आपसी राजीनामा होने से T.I नहीं चलाने हेतु निवेदन आदेश शीट पर अंकित किया है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पक्षकारो में राजीनामा होने के नोट प्रेस में खारिज किया जाता है आदेश मार्फत आम सुनाया गया। पत्रावली के सम्बन्ध शुमार होकर नम्बर से काम होकर दाखिल दफ्तर हो।

पक्षकारो में राजीनामा हो चुका है T.I नहीं चलाना चाहिए

अधिवक्ता प्रार्थी

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2022.05.13 13:31:12 IST
Reason: SelfAttested